HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
C-11, SECTOR-6, PANCHKULA
Ph-0172-577870-73, Fax No. 2581201
E-Mail: hspcbcoordination@gmail.com
website: hspcb.org.in

I/280010/2025 **Dated:- 27-10-2025**

To

Environmental Engineer (IT Cell)
HSPCB, Panchkula.

Subject: Uploading of notification regarding amendment in the parameter of Stone Crushers.

Kindly refer to the subject noted above.

Please find enclosed herewith a copy of notification dated 02.09.2025 received from O/o Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Wildlife Department, Govt. of Haryana vide letter memo no. 16/12/2020-3Env.dated 16.09.2025.

In view of above, you are requested to upload the notification on Board's website, please.

Digitally signed by PINKI
Date: 27-10-2025 15:34:53

SCIENTIST-C
For Member Secretary

Copy to:-

- The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Environment, Forest and Wildlife Department.
- PS to Chairman, HSPCB.
- PA to Member Secretary, HSPCB.
- All Chief Env. Engineers, HSPCB.

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Environment, Forest and Wildlife Department.

To

The Member Secretary,
Haryana State Pollution Control Board,
C-11, Sector-6, Panchkula.

Memo:-16/13/2020-3ENV
Date:- 16.09.2025

Subject:- **Amendment in the parameter of Stone Crushers.**

Reference on the subject noted above.

2. A copy of English and Hindi draft notification No.71/C.A.29/1986/Ss.5 AND 7/2025 dated 02.09.2025 is hereby sent with the request to upload the same on your official website under the intimation to the Govt.

Sd/- Grover
Deputy Superintendent, Environment
for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर, 2025

संख्या का०आ० 71/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2025.– चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ विचार करता है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा,

चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 तथा 7 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए तथा यातायात और मानव स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तुरन्त कदम उठाना आवश्यक तथा समीचीन है,

और चूंकि, राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु तथा पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे से भी बचाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुकी है,

और चूंकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची–II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, अनुसूची–III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची–IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रशिंग इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 6/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7/2025, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के प्रतिनिर्देश से तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ० 29/1986/धारा 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची–I के अनुसार स्टोन क्रशरों के स्थल निर्धारण मानकों और अनुसूची–II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाओं के बारे में स्टोन क्रशरों की स्थापना के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते है, अर्थात् :–

अनुसूची I

हरियाणा में स्टोन क्रशरों के स्थल हेतु मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
1	2	3
1.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.5
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	5.0
3.	समान जिले के निकटतम नगर निगम की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	2.0
4.	निकटतम नगर/शहर/नगरपालिका की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
5.	निकटतम गांव की फिरनी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी यदि वहां कोई फिरनी नहीं है, तो दूरी गांव की आबादी देह से मापी जाएगी तथा बे–चिराग राजस्व सम्पदा (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित की जानी है) की दशा में, मौका स्थल पर वास्तव में दूरी निकटतम बसी हुई राजस्व सम्पदा से मापी जाएगी।	0.5
6.	सड़कों, नहरों, रेल लाइनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाय, सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
7.	20 किलोलीटर क्षमता वाली खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.5

8.	25 या उससे अधिक अन्तरंग रोगियों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.0
9.	राष्ट्रीय पार्कों, वन्य जीव अभयारण्यों तथा संरक्षण आरक्षणों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	2.0 (एन.पी.) 1.0 (डब्ल्यू.एल.एस.)
10.	शिक्षा संस्थानों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.5
11.	किसी खनन क्षेत्र/छोटी पहाड़ी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.1

उपरोक्त कथित अनुसूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिए जाते हैं :-

(i) गांव से दूरी के सिवाय सभी दूरियां, जब तक कि विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं की जाती हैं, सम्बद्ध आकृति (रूपक) की परिधि के लिए स्टोन क्रशर की भूमि की निकटतम सीमा से कौवा उड़ान (क्रो फ्लाई) के रूप में मापी जानी हैं।

(ii) उन गांवों की दशा में, जहां व्यक्तिगत स्टोन क्रशर तथा गांव के बीच कोई पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड़ आता है, वहां गांव की दूरी के मानदंड के लिए पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड़ की सबसे छोटी लाइन के साथ इस शर्त के साथ, कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड़ के आधार न्यूनतम 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में निर्णय, स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मामले दर मामले के आधार पर किया जाएगा।

(iii) विद्यमान अनुमोदित क्रशर जोन तथा उनका विस्तार उपरोक्त स्थल निर्धारण न्यूनतम दूरी मानदंड से प्रभावित नहीं होगा, चूंकि उपरोक्त स्थल निर्धारण मानदंड के संयोजन में स्टोन क्रशिंग इकाइयों के समूह वाली व्यवहार्यता सम्भव नहीं हो सकती। उपरोक्त वर्णित स्थल निर्धारण मानदंड केवल विद्यमान अनुमोदित क्रशर जोन या उनके विस्तार से बाहर के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली स्टोन क्रशिंग इकाइयों को लागू होंगे।

(iv) क्रशर जोन, सभी पणधारी विभागों तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति लेने के बाद, खनन तथा भू-विज्ञान विभाग द्वारा पहचाने तथा अनुमोदित किए जाएंगे।

(v) किसी भी नई स्टोन क्रशर इकाई को फरीदाबाद, पलवल (पूर्व फरीदाबाद जिला) तथा गुरुग्राम जिलों में परिलक्षित क्रशर जोनों के बाहर स्थापित या संचालित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(vi) यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्यों या संरक्षण आरक्षण के इको-अति संवेदनशील जोन एक/दो किलोमीटर, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक दूरी का नियन्त्रण रखने के लिए अधिसूचित हैं, तो उसका पालन किया जाएगा।

(vii) विभिन्न विहित स्थानों के स्टोन क्रशरों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी से ली जाएगी। सम्बन्धित बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी, वन मण्डल अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

(viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अधीन आने वाली स्टोन क्रशर इकाइयां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीएआरपी) या नियामक ढांचे के अधीन माननीय सर्वाच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण और वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूम)/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

अनुसूची II

उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाएं

मद I

प्रदूषण नियन्त्रण पैरामीटर :–

किसी स्टोन क्रशर इकाई के किसी प्रक्रिया उपकरण से 3 मीटर तथा 10 मीटर के बीच मापा जाने वाला आस्थगित परमाणु कण (जिसे, इसमें, इसके बाद, एस.पी.एम. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 600 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होगा। एस.पी.एम. का माप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाना है।

मद II

प्रदूषण नियन्त्रण उपाय:–

पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के अधीन स्टोन क्रशिंग इकाइयों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र तथा माप लगाए जाने तथा संचालित किए जाने अपेक्षित हैं, अर्थात् :–

1. ढ़के हुए शेडों तथा फव्वारों के रूप में साधन के लिए धूल नियन्त्रण-एवं-निरोध प्रणाली।
2. सभी विद्यमान स्टोन क्रशर, अधिसूचना के जारी किए जाने को एक वर्ष की अवधि के भीतर, वायु प्रदूषण नियन्त्रण के अतिरिक्त उपाय जैसे इकाई के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपनी इकाइयों में अपने वाहकों को पूर्ण रूप से ढकना तथा फोगर मशीनें लगाना सुनिश्चित करेंगे।

3. दूरदर्शी जल प्रपात की व्यवस्था के साथ–साथ कम से कम 50 मीटर लम्बी तथा कम से कम 16 फुट ऊंचाई की अनुमोदित वायु रोकने वाली दीवार का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोड से पीसी हुई सामग्री ऐसे बिन्दु से छोड़ी जाती है जो वायु रोकने वाली दीवार की ऊंचाई से कम से कम 2 फुट नीचे है। दीवार संरचनात्मक रूप से पक्की होगी तथा क्रशर इकाई की अतिसंवेदनशील आबादी की दिशा को आच्छादित करेगी।

4. स्थापना की सहमति देते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित क्रशिंग इकाइयों के परिसरों के भीतर या स्टोन क्रशिंग इकाइयों के आवासन जोन के भीतर वाहन संचालन के लिए धातु की सड़क का निर्माण तथा अनुरक्षण।

5. अनुमोदित क्रशर जोन के परिसरों के भीतर या तो व्यक्तिगत रूप से या क्रशरों द्वारा संयुक्त रूप से मुहैया करवाई जाने वाली आर.सी.सी. सीमेंट कंक्रीट सड़कें प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) के परामर्श से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अवधारित होंगी। ये सड़कें निर्माण तथा अनुरक्षण की सन्तोषजनक विशिष्टियों के अनुसार निर्मित की जाएंगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को जोन में स्टोन क्रशर या एकल स्थल या जोनों के भीतर, परिसरों के निरन्तर संचालन को रद्द करने का प्राधिकार होगा, जहां आर.सी.सी. सीमेंट कंक्रीट सड़कें, प्रश्नगत क्षेत्र को यथा लागू व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से सन्तोषजनक रूप से निर्मित या अनुरक्षित नहीं की गई हैं।

6. क्रशिंग इकाई तथा जोन के परिसरों तथा शेष अहाते, जहां इकाई स्थित है, के भीतर भूमि की नियमित सफाई करना तथा उसे गीला करना।

7. सभी स्टोन क्रशिंग इकाइयों से सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो पंक्तियों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया करवाई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के पूर्ण रूप से विकसित होने तक परियोजना प्रस्तावक, धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ– साथ अवरोध/रूकावट का निर्माण करेगा। ऐसी रूकावट सभी तरफ से परिसरों को पूर्णरूप से बन्द करने वाली होनी चाहिए तथा ये या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन हो सकता है। रूकावट की ऊंचाई, वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊंचाई से कम नहीं होगी।

8. स्टोन क्रशिंग इकाइयां कम से कम 10 किलोलीटर क्षमता के जल भण्डारण सुविधा के साथ–साथ कम से कम 50 फव्वारों का प्रबन्ध करेंगी। आगे, उन्हें 100 टन प्रतिदिन के स्टोन क्रशिंग क्षमता तथा उच्चतर क्षमता क्रशर इकाइयों के लिए तदनुसार यथानुपात के लिए कम से कम एक किलोलीटर जल प्रतिदिन छिड़कना होगा।

9. फव्वारा प्रणाली के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ, भार सर्वेक्षण तथा मांग विशेषता वाले पृथक उर्जा मीटर के साथ–साथ अन्तःपाशन (इन्टरलॉकिंग) प्रणाली का प्रबन्ध करेंगी।

10. ऐसे प्रदूषण नियन्त्रण साधन द्वारा उर्जा की खपत के लिए उर्जा मीटर द्वारा यथा अभिलिखित दैनिक डेटा से युक्त लॉग–बुक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या इसके प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर (ऑन–द–स्पॉट) या उसके बाद मुख्यतः तीन कार्य घण्टों की अवधि के भीतर उसकी मांग पर तुरन्त उपलब्ध करवाई जाए।

11. स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ कच्ची सामग्री केवल वैध स्रोत से ही प्राप्त करेंगी तथा केवल वैध खनन पट्टा धारकों से सम्पर्क करना होगा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू उत्पादन डेटा, कर तथा शुल्कों के भुगतान के साथ–साथ स्टोन क्रशिंग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा उपयोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत करेंगी।

12. किसी अनुमोदित जोन के साथ हरित पट्टी कम से कम 100 मीटर की गहराई की होंगी या क्रशर जोन की परिधि के साथ हरित पट्टी की गहराई की दिशा में ऐसे वृक्षों की कम से कम 10 पंक्तियाँ होंगी। परिधि के साथ ऐसे वृक्षों का अंतराल, परिधि के साथ आठ मीटर से अधिक नहीं होगा। बागान वृक्षों की प्रकृति तथा ऐसे वृक्ष बागान के लिए अपेक्षित उनके संरक्षण उपाय सक्षम वन मण्डल अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे। हरित पट्टी लगाने तथा अनुरक्षण के लिए जिम्मेवारी संयुक्त रूप से जोन में संचालित सभी स्टोन क्रशिंग इकाइयों के स्टोन क्रशर संघ की होगी और यदि संघ, मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो इस सम्बन्ध में अनुपालना करने तक उस जोन में सभी क्रशरों का संचालन, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निलम्बित कर दिया जाएगा।

13. किसी भी स्टोन क्रशर को चौ, नदी या उनके बाढ़ संरक्षण तटबंध के भीतर नदी तल में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

14. समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के दिनांक 6 मार्च, 2014 के सहमति पालिसी आदेश, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति प्राप्त करने के लिए भी लागू होंगे।

15. सभी स्टोन क्रशर धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्लॉट की परिधि के साथ कम से कम छह मीटर की कंपाउंड दीवार/जीआई शीट की स्क्रीनिंग प्रदान करेंगे और यह कि स्टोन क्रशर के फीडर और डिस्चार्ज के लिए कन्वेयर बेल्ट को कवर करेंगे।

16. सभी स्टोन क्रशर, केन्द्रीय प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा स्टोन क्रशिंग इकाइयों के लिए जारी किए गए पर्यावरण संबंधी दिशा–निर्देशों की पालना करेंगे।

मद III

अनुपालन न करने वाली इकाइयों को स्थानान्तरित किया जाना

वे सभी स्टोन क्रशिंग इकाइयां, जो इस अधिसूचना में विहित मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर सभी अनुसूचियों में उल्लिखित स्थल निर्धारण पैरामीटरों को पूरा करने वाले किसी स्थल पर स्थानांतरित करना होगा या उन्हें संचालन बंद करना होगा, अन्यथा संबंधित विभाग संबंधित नियमों के अनुसार उन्हें बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

मद IV

भूमि की आवश्यकता

प्रत्येक नई स्टोन क्रशिंग इकाई, चाहे अनुमोदित क्षेत्र में हो या उसके बाहर, के पास कम से कम एक एकड़ भमि (मशीनरी के एक सेट के साथ 10,000 घन फीट प्रतिदिन तक कीक्रशिंग क्षमता) और यदि उसके पास एक से अधिक मशीनरी सेट है, तो कम से कम 1.5 एकड़ भूमि (प्रतिदिन 10,000 घन फीट से अधिक कीक्रशिंग क्षमता) होनी चाहिए और उसमें संचालन करना चाहिए। यदि, भूमि पट्टे पर ली गई है, तो पट्टा, राजस्व प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए और यदि भूमि पंचायत से पट्टे पर ली गई है, तो यह प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग की लिखित अनुमति से ली जानी चाहिए। पट्टे की अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और अपरिवर्तनीय होगी।

मद–V

विद्यमान स्टोन क्रशरों को प्रभावित करने वाली नई स्थापनाओं के पश्चात्‌वर्ती प्रवेश से सम्बन्धित मामलों का समाधान करना

उन दृष्टांतों में, जहां, स्थल मानकों (कोई नई सड़क, कोई नया अधिसूचित वन, कोई विस्तारित नगरपालिका क्षेत्र, कोई नई शिक्षा संस्था, कोई नई स्वास्थ्य देखभाल सुविधा इत्यादि) की आवश्यकता वाली किसी नई स्थापना की पश्चात्‌वर्ती शुरूआत के कारण मजबूरन वर्तमान स्टोन क्रशर इकाइयों को स्थानान्तरित होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि आधुनिक विस्तारित तथा विकसित शहरी/ग्रामीण मानचित्रण में सोसाइटी के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए उपरोक्त वर्णित स्थापनाओं को प्रारम्भ करना अपरिहार्य है, किन्तु जिन क्रशर इकाइयों, ने स्वयं को स्थापित कर लिया है, उन्हें पर्याप्त लागत वाले स्थानान्तरण का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, सभी स्टोन क्रशर इकाइयों को उनकी स्थापना करने से पूर्व सम्बन्धित सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) लेना अनिवार्य है कि प्रश्नाधीन क्षेत्र में कम से कम अगले पांच वर्ष के लिए अपेक्षित स्थापना हेतु कोई भी अतिरिक्त स्थल मानक अपेक्षित नहीं होंगे, जो प्रस्तावित स्टोन क्रशिंग इकाई पर प्रभाव डालते हों तथा यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन ऐसी स्थापना अनुज्ञात की जाती है, तो ऐसे मामलों में स्टोन क्रशर इकाइयों पर अतिरिक्त प्रदूषण नियन्त्रण युक्ति लगाने के अलावा आवश्यक पूर्वोपाय करने के अतिरिक्त नई स्थापना की जिम्मेवारी होगी। इस प्रकार, सहमति केवल आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित क्रशर इकाई से सहमति लेने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नवीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन मामलों में, जहां नई स्थापना के लिए अपेक्षित स्थल पैरामीटर बाद में प्रस्तुत किए गए हैं, इकाई के लिए वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपाय (ए.पी.सी.एम.) के कड़े मानकों सहित ऐसी इकाइयों के दूरी मानदण्ड के आधा को मामला दर मामला पर विचार किया जाएगा। वे इकाईयां, जो आधे ईयरमार्क को भी पूरा नहीं करती है, को एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनःस्थित किए जाने की आवश्यकता होगी।

आनंद मोहन शरन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 2nd September, 2025

No. S.O. 71/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2025.— Whereas, article 48-A of the Constitution of India *inter-alia* envisages that the State shall endeavor to protect the environment;

Whereas, it is necessary and expedient to take immediate steps under sections 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) and rules framed thereunder to maintain ecological balance in the State to prevent environmental degradation and to avoid human health hazards;

And whereas, the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in the view of industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area;

And whereas, as per Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A.29/ 1986/S.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, directions were given for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule I, emission norms and pollution control measures requirement as per Schedule II, identification of zones and availability of sites as per Schedule III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule IV;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, (Central Act 29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, Notification No. S.O. 152 (E), dated the 10th February, 1988 and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules 1986, and in supersession of the Haryana Government, Environment Department, Notification No. S.O. 12/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016 and with reference to Environment, Forest and Wildlife Department Notification No. S.O. 6/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2025, dated the 24th January, 2025, the Governor of Haryana hereby issue the following directions for establishment of stone crushers in regard to siting criteria norms as per Schedule I and emission norms and pollution control measures requirement as per Schedule II, namely:-

SCHEDULE I

NORMS FOR SITING OF STONE CRUSHERS IN HARYANA

Serial Number	Criteria	Distance in KM
1	2	3
1.	Minimum distance required from the nearest National Highway and State Highway	0.5
2.	Minimum distance required from the limits of National Capital Territory of Delhi	5.0
3.	Minimum distance required from the limits of nearest Municipal Corporation of the same district.	2.0
4.	Minimum distance required from the nearest Town/City/Municipal Limits	1.0
5.	Minimum distance required from the nearest Village Phirni. In case if there is no phirni then the distance be measured from *abadi-deh* and in case *of be-chirag* revenue estate (to be certified by the Tahsildar concerned), actually on the spot, the distance will be measured from the nearest inhabited Revenue Estate.	0.5
6.	Minimum distance required from any land recorded as forest in Government record (Revenue or Forest Department) except strip forests / plantation along roads, canals, railway lines and bunds.	0.25
7.	Minimum distance required from approved water supply scheme open to sky of 20 KL capacity.	0.5
8.	Minimum distance required from any indoor health treatment unit catering to 25 or more bed for catering indoor patients.	1.0
9.	Minimum distance required from National Parks, Wild Life Sanctuaries and Conservation Reserves.	2.0 (NP) 1.0 (WLS)
10.	Minimum distance required from Education Institutions	0.5
11.	Minimum distance required from any mining area / hillock	0.1

The following directions are also given in respect of above said Schedule:-

(i) All distances, unless specifically mentioned above, except the distance from village, are to be measured as the crow flies from the nearest boundary of the land of the stone crusher to the periphery of the feature concerned.

(ii) In case of villages where any hill / hillock / mountain fall between the individual stone crusher and the village, the distance criteria from the village shall be considered along the shortest line of hill / hillock / mountain, with the condition that there should be a minimum of 300 m distance from the foot of the hill / hillock / mountain for safeguarding the environment and the decision in this regard shall be taken on case to case basis considering the local environment.

(iii) The existing, approved crusher zones and their extension shall not be affected by the above siting minimum distance criteria as the feasibility of heaving a conglomeration of stone crushing units in conjunction with the above siting criteria may not be possible. The above mentioned siting criteria shall only be applicable to stone crushing units to be established in the area outside the existing, approved crusher zones or their extension.

(iv) The crusher zones shall be identified and approved by the Mining and Geology Department, after getting concurrence from all the Stakeholder Departments and Haryana State Pollution Control Board.

(v) No new stone crushing unit shall be allowed to be set up or operate outside the identified crusher zones in Faridabad, Palwal (earstwhile Faridabad District) and Gurugram District.

(vi) In case, eco sensitive zone of a protected area like National Park, Wild Life Sanctuary or Conservation Reserve is notified having restrictions for a distance of more than one /two kms, as the case may be, then the same shall be adhered to.

(vii) The distance of the stone crushers from various prescribed locations shall be certified/verified by the concerned Tahsildar and for the forest land the report regarding the siting distance shall be taken from the Divisional Forest Officer concerned. The Regional Officer of the Board concerned, shall verify distances of the prescribed locations other than those verified by Divisional Forest Officer or Tahsildar.

(viii) The Stone Crusher units falling under National Capital Region (NCR) are bound to comply with the directions issued by Hon'ble Supreme Court/ National Green Tribunal (NGT) and the Commission for Air Quality Management (CAQM) or any other competent authority under the Graded Response Action Plan (GRAP) or applicable regulatory framework.

SCHEDULE II

EMISSION NORMS AND POLLUTION CONTROL MEASURES REQUIREMENTS

Item I

Pollution Control Parameters:

The suspended particulate matter (hereinafter referred to as SPM) measured between 3 meters and 10 meters from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 micrograms per cubic meter. The measurements of SPM are to be conducted as per Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and rules made thereunder.

Item II

Pollution Control Measures:

The following pollution control devices and measures are required to be installed and operated as mandatory obligation by the stone crushing units under the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. Dust containment cum suppressing system for the equipment in the form of covered sheds and sprinklers;

2. All existing stone crushers shall ensure additional air pollution control measures like fully covering their conveyors and installing fogger machines in their units, within a period of one year of issuance of the notification.

3. Construction of approved wind breaking wall of at least 50 meters length and minimum 16 feet height along-with provision of telescopic chute to ensure that the crushed material from the nod is released from a point which is at least 2 feet below the height of the wind breaking wall. The wall shall be structurally sound and shall cover the vulnerable abadi side of the crusher unit.

4. Construction and maintenance of metalled roads for vehicular movement within the premises of the crushing units or within the zone housing the stone crushing units as approved by the Haryana State Pollution Control Board at the time of grant of Consent to Establish.

5. The RCC cement Concrete roads to be provided either individually within the premises or jointly by the crushers in the approved crusher zones will be as determined by the Haryana State Pollution Control Board in consultation with Engineer-in-Chief, Public Works Department (Buildings and Roads). These roads shall be constructed as per satisfactory specifications of construction and maintenance. Haryana State Pollution Control Board will have the authority to cancel continued operation of stone crusher in zone or isolated sites or premises within zones where such RCC cement Concrete `are not satisfactorily constructed or maintained individually or jointly as applicable to the area in question.

6. Regular cleaning and wetting of the ground within the premises and the remaining enclosure of the crushing units and the zone where the unit is situated.

7. All stone crushing units shall provide a green belt along the periphery having avenue plantation of two rows after approval of plantation plan by the Divisional Forest Officer concerned. Till plantation within the premises is fully developed, the project proponent shall erect a barrier/barricade along the periphery to contain the dust emissions. Such barricade should completely enclose the premises from all sides and may be either a boundary wall or of flexible cloth (tarpaulin etc.) or a combination of two. The height of the barricade shall not be less than the height of the highest tip of the conveyor belts.

8. The stone crushing units shall provide atleast 50 number sprinklers along-with a water storage facility of minimum 10 Kiloliter capacity. Further, they must sprinkle atleast 1 kiloliter of water per day for a stone crushing capacity of 100 tons per day and *pro rata* accordingly for higher capacity crushing units.

9. In order to ensure the regular operation of sprinklers system, the stone crushing units shall provide inter locking system along-with separate energy meter having load survey and demand features.

10. A log book, containing the daily data, as recorded by the energy meter for the consumption of energy by such pollution control measure be made available to the Haryana State Pollution Control Board or its authorized officers immediately on its demand on the spot or within a period of three working hours thereafter at the most.

11. The stone crushing units shall obtain raw material only from legal sources and will have exclusive contract with legitimate mining lease holders and will submit complete data relating to the sources and quantity of raw material utilized and exploited by the stone crushing units along-with production data, taxes and duties paid as applicable thereon under the law of land.

12. A green belt along any approved zone shall be for a depth of alteast 100 meters or along the periphery of the crusher zone with minimum 10 rows of such trees in the direction of the depth of the green belt. The spacing of such trees along the periphery shall not exceed 8 meters along the periphery. The nature of trees to be planted and their protection measures required for such tree plantation shall be subject to the approval of the concerned Divisional Forest Officer. The responsibility for the planting and maintaining of green belt shall be collectively with the stone crusher association of all the stone crushing units operating in the zone and in case the association fails to ensure the compliance of the norms, the operation of all the crushers in that zone shall be suspended by the State Pollution Control Board till the compliance is made in this regard.

13. No stone crusher will be allowed to be set up in choe, steam or river bed within their flood protection embankments.

14. Consent policy orders dated the 6th March, 2014 of the Haryana State Pollution Control Board notified on 15th April, 2014 as amended from time to time shall also be applicable for obtaining consent to establish and consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981).

15. All stone crushers shall provide a minimum of six meters compound wall/screening of GI sheets along the plot periphery to control dust emissions and that the conveyer belts for feeder and discharge of stone crushers shall be covered.

16. All Stone crushers shall comply with the Environmental guidelines for stone crushing units issued by the Central Pollution Control Board (CPCB)/National Green Tribunal (NGT)/ Commission for Air Quality Management (CAQM) and Hon'ble Supreme Court.

Item III

Non- complying units to be shifted

All the stone crushing units, which do not meet the siting criteria prescribed in the notification shall have to shift to a site meeting the siting parameters mentioned in all the schedules within 30 days or they will have to close down the operations, otherwise the respective department would take necessary action for their closure as per the respective rules.

Item IV

Requirement of Land

Every new stone crushing unit whether in approved zone or outside, must possess and operate in a minimum area of one acre of land (crushing capacity up to 10000 Cubic feet per day with one set of machinery) and at least 1.5 acres of land (crushing capacity more than 10000 Cubic feet per day) if it has more than one set of machinery. In case land is taken on lease, then the lease should be registered with Revenue Authority and if the land is taken on lease from Panchayat then it should be with the written permission of the Principal Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department. The lease period shall not be less than seven years and shall be irrevocable.

Item V

Resolving the issues relating to Subsequent introduction of new establishments, affecting the exiting stone crushers

In those instances, where, due to subsequent introduction of a new establishment requiring the siting norms (a new road, a new notified forest, an expanded Municipal area, a new education institution, a new Health Care Facility, etc.), compelling the existing stone crusher units to be shifted, the fact that in the modern, expanding and developing urban / rural mapping, it is unavoidable to introduce the above mentioned establishments for the over-all development and modernization of the society, is recognized, but the crusher units which have established themselves have to face shifting involving considerable cost. It is, therefore, mandatory for all the stone crusher units to take an NOC from all the Departments concerned, before their establishment that there would be no additional siting norm requiring establishment, at least for the next five years in the area under question which might affect the proposed stone crushing unit, and in case, if under unavoidable circumstances, such establishments are allowed, necessary precautions shall be the responsibility of the new establishment as well, besides imposition of additional pollution control measures on the stone crusher unit. Further, in cases, where the new establishments requiring siting parameters have been introduced subsequently, half of the distance criteria for such units, along with the stringent norms of Air Pollution Control Measures (APCM) for the unit shall be considered, on case to case basis. Those units, which are not even meeting the half earmark shall need to be relocated, within a period of one year.

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forest and Wildlife Department.

12082—L.R.—H.G.P., Pkl.